पद हैं। ऐसे असंवर्गीय पदो से सीधी पदोन्नति के लिये स्पष्टतः कोई ऊंचे पद नही हो सकते किन्तु हिन्दी सहायकों के लिये प्रगति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सभी मंत्रालय आदि को सलाह दी गई है कि हिन्दी सहायकों को सामान्यत केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे श्रेणी II और श्रेणी–I (कनिष्ठ) पदो के लिये आवेदन करने की अनुमति दी जाये जिनके लिये हिन्दी में उच्चतर योग्यताओ अथवा उच्च स्तरीय दक्षता तथा हिन्दी मे काम करने का अनुभव आवश्यक हो। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या अन्य प्रकार से उपयुक्त तथा योग्य होने पर उच्चतर पदो में नियुक्ति के लिये चयन के बारे म हिन्दी सहायको को पूर्वाधिकार प्रदान किया जा सकता है।

हिन्दी सहायक

2440. श्री मोलहू प्रसाद .
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी सहायकों के लिये पदोन्नति का कोई नियमित अवसर न होते हुए भी उनको अनुभाग अधिकारी के पद के लिये विभागीय प्रतियोगी परीक्षा मे बैठने नही दिया जाता ,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है , और

(ग) इसी वेतन-मान वाले अन्य सहायकों को इस परीक्षा मे बैठने की अनुमति देने के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हिन्दी सहायक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सदस्य नही हैं और स्पष्टत इसी कारण से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिये उपयुक्त घोषित नही किये गये। वस्तुत. यह प्रतियोगी परीक्षा एक पदोन्नति परीक्षा है। जिसमें बैठने का अधिकार केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारियो को है।

हिन्दी सहायकों की नियुक्ति

2441. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रालयो तथा कार्यालयों में हिन्दी सहायक तथा हिन्दी अनुवादक तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये हैं , यद्यपि वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा मे उत्तीर्ण नही हो सके थे ,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियो की संख्या कितनी है

(ग) क्या उन्हे नियमित करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उनकी परीक्षा लेने का विचार है , और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) और (ख) जून, 1959 में संघ लोक सेवा आयोग ने हिन्दी सहायको के पदो के लिये एक परीक्षा ली और उसमें उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को उपलब्ध पदो पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद रिक्त रहने वाले या बाद मे स्वीकृत पद विभिन्न मंत्रालयो आदि द्वारा अपने उपयुक्त कर्मचारियो मे से एतदर्थ आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे गये। हिन्दी अनुवादको के पदो के लिये कोई परीक्षा नही ली गई। अत इन पदो पर सम्बन्धित मंत्रालयो द्वारा भरती सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि हिन्दी सहायकों के पदों के लिये एतदर्थ नियुक्तियां केवल उसी अवस्था में की जा सकती हैं जबकि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध न हों। इस प्रकार नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों में से ऐसे लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे थे किन्तु उत्तीर्ण नहीं हो सके थे।

(ग) जी हां। ज्योंही संघ लोक सेवा आयोग को सुविधा होगी त्योंही हिन्दी सहायकों के लिये परीक्षा लेने का विचार है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिन्दी

2442. **महन्त श्री दिग्विजय नाथ:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई देवनागरी लिपि में नहीं बल्कि रोमन् लिपि में कराई जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे उन दक्षिण भारतीय विद्यार्थियों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ना चाहते हैं?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): केवल उन्हीं विद्यार्थियों को, जिनकी मातृ भाषा हिन्दी अथवा उर्दू नहीं है, लेकिन जिनसे प्रारम्भिक हिन्दी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने की अपेक्षा की जाती है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग करने की अनुमति दी गई है, यदि वे ऐसा चाहें।

(ख) विश्वविद्यालय का ऐसा मत है कि इन विद्यार्थियों के लिए यदि वे हिन्दी को रोमन लिपि के जरिए सीखें, तो प्रारम्भिक हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त करना आसान होगा।

(ग) प्रारम्भिक हिन्दी लेने वाले विद्यार्थियों के लिए रोमन् लिपि का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है। हिन्दी में अन्य पाठ्यक्रमों को देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसलिए, विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए विकल्प का असर उन विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा, जो हिन्दी को देवनागरी लिपि में सीखना चाहते हैं।

Foreign Nationals of Goan Origin

2443. **Shri Shinkre:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of foreign nationals of Goan Origin in Goa having Portuguese passports;

(b) the number of these Portuguese passport holders intending to leave India and to proceed to Portugal or to Portuguese colonies in Africa;

(c) whether any emargo is placed by Government on their quiting India;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) if no embargo is placed, the steps Government propose to take to facilitate their quiting India?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The number of registered Portuguese nationals in Goa, as on 1st Janlary, 1967, was 564.

(b) The information is not available.

(c) to (e). There is no embargo on the departure of such persons. They have only to report their intended departure to the Registration Officer and get their Registration Certificates endorsed to this effect.

Ering Committee Report

2444. **Shri B. N. Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to publish the Ering Committee Report on NEFA Administration; and